भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1807

04 मई, 2016 को उत्तर के लिए

yS.M iwfyax ikWfylh

1807- Jherh dksFkkiYyh xhrk%
MkWñ mfnr jkt%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us fnYyh gsrq yS.M iwfyax ikWfylh vfèklwfpr dh gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa(

¼[k½ vfèklwpuk dks dc rd tkjh fd, tkus dh laHkkouk gS vkSj izR;sd tksu esa yS.M iwy fodflr djus dh le;&lwph D;k gS(

¼x½ D;k yksxksa dks fcYMjksa }kjk vkokl ifj;kstukvksa ds voSèk foKkiuksa }kjk èkks[kk fn;k tk jgk gS vkSj ,sls fcYMjksa us dfFkr :i ls djksM+ksa #i, dek fy, gSa vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj bl lacaèk esa D;k dM+s dne mBk, x,@mBk, tk jgs gSa(vkSj

¼?k½ D;k ikWfylh esa foyac ds dkj.k dkQh èkujkf'k Qalh gqbZ gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj yS.M iqfyax ikWfylh dk 'kh?kz vf/klwpuk ds fy, D;k dne mBk, x,@mBk, tk jgs gSa\

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एम.वेंकैया नायडु)

(क): जी, हां। दिल्ली के लिए लैंड पूलिंग नीति का विवरण दिनांक 05.09.2013 की भारत के राजपत्र की अधिसूचना एस.ओ. सं. 2687(ई) में दिया गया है जिसे http:/www.egazette.nic.in/WriteReadData/2013/E 2076 2013 004.pdf. से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ख): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित कीया है कि संबंधित गांवों की (i) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विचार मांगने के पश्चात उप-राज्यपाल, दिल्ली द्वारा दिल्ली

विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत विकास क्षेत्र, तथा (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अनुमोदन के पश्चात संबंधित दिल्ली नगर निगमों द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धार 507 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात लैंड पूलिंग नीति लागू की जाएगी। तद्नुसार, दि.वि. प्रा. ने पहले ही संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया है।

(ग) और (घ):दिल्ली में लैंड पूलिंग के अंतर्गत क्षेत्रों में फ्लैटों/ भूखंडो के लिए कुछ विकासकों/सहकारी सोसायटियों द्वारा पंजीकरण/बूकिंग करने के विवरण वाले कुछ समाचार पत्रों के समाचारों का संज्ञान लेते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त नीति के अंतर्गत आवास हेतु ऐसे प्रस्तावों/स्कीमों में निवेश के विरूद्ध समाचार-पत्रों के माध्यम से निरंतर आम जनता के लिए चेतावनी जारी कर रहा है।

****